उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

विविध आवेदन सं0–09/2023–24

जितेन्द्र राय

बनाम्

अंचल अधिकारी, गोड्डा

–: आदेश :–

दिनांक 20|1|25

वर्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक जितेन्द्र राय, पे0–स्व0 मंगरू राय, साकिन–दाढ़ीघाट, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक मौजा–गोढ़ीघाट(रूपियामा) नं0–504, 515 जमाबंदी रैयत–मोस0 लहेरिया का वैध वंशज है। जमाबंदी रैयत की पुत्री इसावती की शादी सर्वे सेटलमेंट पूरा होने के बाद ग्राम–दाढ़ीघाट, थाना–पथरगामा के निवासी सुखरू राय से हुई थी और वे अपने इकलौते पुत्र मंगरू राय को छोड़कर वर्ष 1948 में फौत कर गई। मंगरू राय अपने पैतृक संपति के साथ–साथ माता की संपति मौजा–गोढ़ीघाट(रूपियामा) के भी हकदार हुए। उनका आगे कथन है कि उनके पिता ढाढ़ीघाट और गोढ़ीघाट(रूपियामा) दोनों स्थानों की संपत्तियों की देखभाल करती थी, इसलिए उन्होंने गोढ़ीघाट(रूपियामा) की अपनी जमीन भौलीदार को दे दिया, जो उन्हें फसल का हिस्सा दिया करते हैं। उनका आगे कथन है कि भारत सरकार की ओर से एन0एच0–133 महागामा–हंसडीहा पथ चार लेन का निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु अधिसूचना निर्गत किया गया है, जिसमें उनके हिस्से की जमीन जमाबंदी सं0–70, दाग नं0–2, 5, 6, 17, 26, 03, 51, 52 एवं 4 का एवार्ड घोषित कर हितबद्ध सूची में आवेदक का नाम अंकित किया गया। आवेदक द्वारा इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को लिखित सहमति दिया गया। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने अपने पत्र सं0–148/रा0 दिनांक–03.02.2023 द्वारा आवेदक की परदादी को नावल्द बताया गया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा द्वारा ग्रामीणों को सूचना दिए बिना ग्राम सभा का आयोजन कर जाँच प्रतिवेदन दिया गया है,जबकि अंचल अधिकारी, गोड्डा ने दिनांक–03.08.2022 के द्वारा एवार्ड सूची में आवेदक का नाम हितबद्ध सूची में दर्ज किया था। आवेदक द्वारा आवेदक का नाम जोड़ने हेतु

दिनांक–21.07.2023 को उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया, जिसे जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा को अग्रसारित कर दिया गया। आवेदक का कथन है कि उनके गोतिया द्वारा दुर्भावना से ग्रसित होकर उनका नाम हितबद्ध सूची से हटवाया गया है। आवेदक द्वारा उनका नाम हितबद्ध सूची में जोड़ने का अनुरोध किया गया है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने पत्रांक–1978/भू0अ0 दिनांक–05.10.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा–गोढ़ीघाट, थाना नं0–504 अन्तर्गत खाता सं0–17 के दाग नं0–17, 02, 26, 03, 04, 05, 50, 51, 52 एवं 06 के अंतर्गत की भूमि का अर्जन किया गया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा से प्राप्त हितबद्ध सूची एवं प्रतिवेदन के आलोक में एवार्ड तैयार किया गया। मौजा–गोढ़ीघाट, खाता सं0–70 के गेंजर पर्चा में जमाबंदी रैयत वरमा राय वल्द नसीब राय व बैजनाथ राय व भागवत राय, पे0–लोचन राय व शीकचीली वल्द केवल राय व मसो0 लहरिया, जौजे जगरनाथ राय कौम–खेतौरी कहकर दर्ज है। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने अपने पत्रांक–148/रा0 दिनांक–03.02.2023 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में जमाबंदी रैयत मु0 लहरिया, पति–जगरनाथ राय(नावल्द) बताया गया। फलस्वरूप जमाबंदी रैयत की एवार्ड राशि को वैध वारिसान कहकर एवार्ड घोषित किया गया। परन्तु उक्त मुआवजा राशि को सुरक्षित रखा गया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर के पत्रांक–148/रा0 दिनांक–03.02.2023 के द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें उल्लेख है कि अंचल अधिकारी,गोड्डा के कार्यालय के पत्रांक–766/रा0 दिनांक–03.08.2022 के द्वारा पूर्व में ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों के द्वारा बताये गये वंशवृक्ष के आधार पर हितबद्ध सूची भेजा गया था। आगे प्रतिवेदित है कि नंदकिशोर राय एवं अन्य द्वारा दिये गये आपत्ति आवेदन के आलोक में पुनः पंचायत रूपियामा के मुखिया एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा वंशावली का सत्यापन के उपरांत पाया गया कि मसो0 लहरिया, जमाबंदी रैयत नावल्द हैं। अंचल अधिकारी,गोड्डा द्वारा नोटिस निर्गत कर सुनवाई करते हुए आवेदक का नाम विलोपित करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी,गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत पाया गया कि उनके पत्रांक–766/रा0 दिनांक–03.08.2022 के द्वारा सर्वप्रथम ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों के द्वारा बताए गए वंशवृक्ष के

आधार पर हितबद्ध सूची में आवेदक का नाम दर्ज कर जिला भू–अर्जन कार्यालय में भेजा गया था। पुनः अंचल अधिकारी,गोड्डा सदर 1389/रा0 दिनांक–02.11.2023 के प्रतिवेदन में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मिस0पिटीशन नं0–09/23–24 के आलोक में उनके कार्यालय के ज्ञापांक–1342/रा0 दिनांक–27.10.2023 के द्वारा दिनांक–31.10.2023 को पंचायत भवन रूपियामा में जमाबंदी नं0–70 के जमाबंदी रैयतों का वंशावली को लेकर आम सूचना दी गई थी। उक्त वंशवृक्ष का सत्यापन हेतु शिविर आयोजित की गई, जिसमें सौलहआना रैयत के समक्ष मसो0लहरिया को अधिकांश रैयतों के द्वारा नावल्द बताया गया, जबकि कुछ रैयतों द्वारा मसो0लहरिया के वंशज होने की बात कही गई एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा आवेदक से वंशज होने का वैध कागजात की मांग करने का अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात आवेदक से वंशज होने से संबंधित कागजात की मांग की गई। आवेदक द्वारा वंशावली प्रमाण पत्र संख्या–03/06 दिनांक–18.08.2006 का छाया प्रति उपलब्ध कराया गया है। जिसका सत्यापन अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर से कराया गया। अंचल अधिकारी, गोड्डा ने अपने पत्रांक–1171/रा0 दिनांक–13.09.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है। जिसमें उल्लेख है कि श्री दिलीप कुमार यादव, तत्कालीन प्रधान सहायक द्वारा उपस्थित होकर वंशावली का सत्यापन के क्रम में प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल कार्यालय,गोड्डा सदर में वर्ष 2005 से 2009 के बीच प्रधान सहायक के पद् पर वे कार्यरत थे। उनके द्वारा वंशावली प्रमाण पत्र संख्या–03/06 दिनांक–18.08.2006 जो हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक तथा पूर्व के सहायक श्री विनोद बिहारी मेहरा के अनुशंसा पर वंशावली प्रमाण निर्गत किया गया था। उक्त वंशावली में बतौर प्रधान सहायक के रूप में मेरा ही हस्ताक्षर अंकित है,जो मेरे द्वारा सत्यापित किया जाता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा आवेदक नाम हितबद्ध सूची में भेजा गया था। हितबद्ध सूची में नाम आने के पश्चात नंद किशोर राय वगै0 द्वारा आपत्ति की गई थी। आपत्ति के उपरांत पुनः आयोजित ग्राम सभा में कुछ रैयतों द्वारा आवेदक को मसो0 लहरिया का वंशज होने की बात कही गई। साथ ही अंचल कार्यालय,गोड्डा से वंशावली प्रमाण पत्र संख्या–03/06 दिनांक–18.08.2006 निर्गत किया

गया है, जिसमें आवेदक को मसो0 लहरिया का वंशज दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक जितेन्द्र राय, अंचल कार्यालय, गोड्डा से निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र संख्या–03/06 दिनांक–18.08.2006 के आधार पर मसो0 लहरिया देवी के वंशज हैं।

अतः जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आदेश की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,गोड्डा को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा।

उपायुक्त
गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.19 11:28:10 +05:30
Location: 192.168.1.33